

जल विज्ञान एवं जल संसाधन पर

प्रथम राष्ट्रीय जल संगोष्ठी



राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान

जलविज्ञान भवन, रडकी- 247667 (उत्तराखण्ड)

फोन:- 01332-272106, फैक्स:- 01332-272123,

Email: nihmail@nih.ernet.in, Web: www.nih.ernet.in

जल संसाधन विकास व भारतीय संविधान - विवेचनात्मक अध्ययन

राधेश्याम गोयल¹

प्रस्तावना

जल एक प्रधान प्राकृतिक संसाधन है। जल मानव की आधारभूत आवश्यकता है और सब विकासमान आयोजन का एक मुख्य तत्व है। यह परिस्थितिकी का एक अनिवार्य और नियंत्रक तत्व है। जीवित रहने और बढ़ोत्तरी के लिए मानव पूरी तरह जल पर निर्भर है। जल के प्रबंधन और उसको संभालने के लिए मानव की क्षमता बड़ी तेजी से बदलती रही है। जल का प्रबन्धन जटिल किन्तु रोमांचक अनुभव है।

अभिन्न और इष्टतम आधार पर जल संसाधनों का आयोजन, संरक्षण और विकास राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसके लिए संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। इसको ध्यान में रखकर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एन0 डब्ल्यू0 आर0 सी0 द्वारा एक राष्ट्रीय नीति स्वीकारी गई। (सभी मुख्य मंत्रियों की, जो कि परिषद के सदस्य हैं, सर्वसम्मत सहमति से)

परियोजना आयोजन की नीति में उल्लेख है :

“जल संसाधन का आयोजन एक जल विज्ञानीय इकाई के लिए करना होगा। एक पूरे जल निकास बेसिन को या एक उप बेसिन को एक इकाई माना जाएगा। सब अलग-अलग विकासमान परियोजनाएं और प्रस्ताव राज्यों द्वारा तैयार किए जाएं और एक बेसिन या उपबेसिन के लिए ऐसी समग्र योजना के अन्तर्गत ही उन पर विचार किया जाए, ताकि विकल्पों का सर्वोत्तम-संभव संयोग हो सके।”

नीति में आगे कहा गया है –

“जल संसाधन विकास परियोजनाओं का आयोजन और विकास यथासम्भव बहुउद्देशीय परियोजनाओं की तरह होना चाहिए। पेय (पीने योग्य) जल की व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार होना चाहिए। परियोजनाओं में जहां तक सम्भव हो सिंचाई, नौ-वहन, मछली पालन और मनोरंजन के लिए प्रावधान होना चाहिए। संग्रहण क्षेत्र के उपचार और प्रबंधन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के पहनुओं, प्रभावित लोगों के पुर्नवास और कमान क्षेत्र के विकास समेत परियोजनाओं के आयोजन, निर्माण, अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए एक अभिन्न और बहु-विषयी मार्ग अपनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति (1787) और राष्ट्रीय जल आयोजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों की ओर ध्यान देना आवश्यक है (ताकि जल संसाधनों के विकास में संघ और राज्यों की सरकारों के दायित्वों और सम्बद्ध कर्तव्यों

1 निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग (पर्यावरण प्रभाव निदेशालय), सेवा भवन, नई दिल्ली- 110066.

की पहचान की जा सके। हमें देखना पड़ेगा कि विद्यमान ढांचा पर्याप्त है या नहीं और संविधानिक संशोधनों या विद्यमान उपबंधों के अधीन आवश्यक कानून बनाने की आवश्यकताओं का आकलन भी करना होगा।

जल संसाधनों की बाबत संविधान के उपबंध

संविधान की उददेशिका में सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे समानता और पंथ-निरपेक्षता का उल्लेख हुआ है। इसके बाद संविधान में देश के संचालन-तन्त्र का विवरण है (जिसमें तंत्र के तीन अंगों यानि विधायिका, न्याय पालिका और कार्य पालिका के द्वारा उन लक्ष्यों की प्राप्ति की कार्य-विधियों का वर्णन है)।

देश के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के प्रावधानों के साथ-साथ देश के सामान्य कार्यिक विकास के प्रावधानों को भी संविधान में रखांकित किया गया है जिनका संबंध भारत सरकार से है। अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों और संबंधों के लिए भी प्रावधान है, जिन्हें संभालने का दायित्व भारत सरकार का है।

राज्यों और केन्द्र के बीच दायित्वों के नियतन के संबंध में संविधान के उपबंध तीन वर्गों में आते हैं – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे उपबंधों के वर्णीकरण का कथा सिद्धान्त है? वे सब मापते, जो स्थानिक नहीं हैं – जैसे डाक सेवाएं, दूर संचार, रेलवे, राष्ट्रीय महामार्ग, संघ सूची में रखे गये हैं। ये चल गतिविधियाँ हैं। स्वाभाविक रूप से चल जल को भी जो राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं से नहीं बंधता है, संघ सूची में विशेष स्थान मिला है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ॥ में प्रविष्टि 17 में लिखा है: “सूची । की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जल अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति (बिजली)। इस उपबंध से जल के विषय में कानून बनाने की शक्ति और इस तरह संबंधित राज्य के जल संसाधन विकास के क्षेत्र में कार्य उन्हें प्रथम भाग में अदा करने का काम सौंपा गया है।

सूची । की प्रविष्टि 56 में केन्द्रीय सरकार को भी दायित्व दिया गया है – “उस सीमा तक अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा लोक हित में समीक्षीय घोषित करें”।

अनुच्छेद 262 में जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान है – “अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन – (1) संसद, विधि द्वारा, किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण का नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। (2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।” किसी राज्य सरकार द्वारा अपने जल संसाधनों के बारे में पारित विधान बेसिन में अन्य राज्यों के हितों के प्रतिकूल हो सकते हैं, इसीलिए अंतर-राज्य नदी जल के विकास के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है।

संसद द्वारा 1956 ई० में दो कानून बनाए गए हैं (1) नदी बोर्ड अधिनियम, (2) अंतरराज्य जल विवाद अधिनियम। नदी बोर्ड अधिनियम की धारा 2 में कहा गया है कि लोकहित में केन्द्र सरकार को अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों के विनियमन और विकास को अपने नियंत्रण में इतनी मात्रा तक ले लेना चाहिए जितना कि यहां इसके बाद प्रावधान किया गया है। अंतरराज्य जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4(1) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाई गई है (किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी)। अधिनियम में राज्य सरकारों की ओर से केन्द्र सरकार को जल विवाद की शिकायतें किए जाने संबंधी प्रावधान है। उसमें आगे प्रावधान है कि “जब किसी जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हो और केन्द्र सरकार का यह मत हो कि जल विवाद वर्ता द्वारा नहीं निपटाया जा सकता तो केन्द्रीय सरकार जल विवाद के न्याय निर्णयन के लिए एक जल विवाद अधिकरण बनाएगी।”

धारा 2 (सी) में जल विवाद की परिभाषा है :-

- “सी—जल विवाद” का अर्थ दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच किसी ऐसे विवाद या मतभेद से है जो
- (I) किसी अंतर-राज्यिक नदी या नदी दून में या उनके जलों के नियंत्रण, वितरण, उपयोग : या
 - (II) ऐसे जलों के नियंत्रण या वितरण, उपयोग संबंधी किसी अनुबंध (करार) की शर्तों के निर्वचन या ऐसे अनुबंध के कार्यान्वयनः या
 - (III) धारा 7 में समाविष्ट रोक के उल्लंघन में किसी जल-दर के लगाए जाने : के संबंध में हो ।”
नदी बोर्ड अधिनियम 1956, निम्नलिखित कार्यों के लिए, विभिन्न नदी बोर्डों के गठन हेतु बनाया गया था –
- (क) उन राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए जिहें किसी निर्दिष्ट अन्तर-राज्यिक के, उनमें प्रचालन क्षेत्र के भीतर, विकास या विनियमन के लिए सहायता की आवश्यकता हो, ताकि राज्य में नदी बेसिन के जल संसाधनों के संरक्षण, नियंत्रण और इष्टतम उपयोग के लिए अधिकतम लाभ मिल सके और सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जल प्रदाय, बाढ़ नियंत्रण, जल निकास और नौ वहन के लिए योजनाओं का प्रचालन और उन्नति हो सके तथा वृक्षारोपण, मिट्टी कटाव का नियंत्रण और अंतरराज्यिक नदियों के जलों के प्रदूषण की रोकथाम हो सके ।
- (ख) अंतर-राज्यिक नदी के विकास या विनियमन के लिए योजनाएं बनाना और राज्य सरकारों को ऐसी योजनाओं के निष्पादन के लिए सलाह देना और सहायता करना ।
- (ग) लाभ उठाने वाले राज्यों में परियोजना की लागत का नियतन
- (घ) परियोजना की प्रगति का प्रबोधन या ऊपर बताए कार्यों में किसी का पूरक, प्रासंगिक या परिणामी कोई अन्य मामला ।

दुख की बात है कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 अर्थहीन हो गया है, क्योंकि संसद द्वारा अधिनियमित होने के 34 वर्षों के बाद भी वांछित नदी बोर्ड नहीं बने हैं । फलस्वरूप, अंतर-राज्यिक जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 2 में हुई घोषणा का मूल्य बहुत शंकास्पद है क्योंकि यह सोचा नहीं जा सकता था कि उस अधिनियम द्वारा राज्यों की विधायी शक्तियां उस हद तक प्रभावित हों, जो व्यावहारिक रूप से लगभग प्रभावहीन हैं ।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बाणसागर परियोजना नियंत्रण बोर्ड, तुंगभद्रा बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जैसे कुछ नियंत्रण बोर्ड अंतरराज्यीय परियोजनाओं के निर्माण में समन्वय करने और प्रबोधन के लिए बनाए गए हैं । उल्लेखनीय है कि दामोदर घाटी निगम का गठन स्वतंत्रता के तत्काल बाद सन् 1947 में टेनेसी वैली अंथारिटी की तरह ही दामोदर नदी के बेसिन में विभिन्न बहु-उद्देशीय परियोजनाओं के आयोजन, निर्माण और प्रचालन के लिए हुआ था ।

अन्य संसाधनों के लिए समरूप सांविधानिक प्रावधान

यह जानना रुचिकर होगा कि संविधान में खानों और खनिज विकास और उद्योगों के लिए ऐसे ही (जल के समरूप) प्रावधान हैं । जिन्हें नीचे दिया गया है :-

प्रविष्टि : 23

राज्य सूची

संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची-1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिज विकास

संघ सूची

प्रविष्टि - 54

उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा, लोक हित

में समीचीन घोषित करें ।

प्रविष्टि – 24

सूची-1 की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों
के अधीन रहते हुए उद्योग

प्रविष्टि – 52

वे उद्योग जिनके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा
की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन
है ।

यद्यपि जल, खनिज विकास और उद्योगों के लिए सांविधानिक प्रावधान लगभग एक जैसे हैं तो भी खनिजों और उद्योगों को विकास काफी हृद तक केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं, क्योंकि इन प्रावधानों के अधीन संसद ने कानून बनाए हैं । बड़े-बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन जैसे भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकलस लिमिटेड, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग निगम, बी.आई.एम.एल., स्टील अथॉरिटी, सी.आई.एल., तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन आयल, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड आदि राष्ट्र की उल्लेखीय सेवा संघ क्षेत्र में कर रहे हैं ।

जल भी उतना ही प्राकृतिक संसाधन है जितने खनिज हैं । देश का प्रत्येक भाग प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि टोपोग्राफी, भूगर्भीय और अन्य विशेषताओं का अंतर है । तो भी संघीय ढांचे में जैसा कि हमारा है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूरे देश के लाभ के लिए होना चाहिए न कि किसी उस विशेष राज्य के लिए ही जिसमें वे अवस्थित हैं ।

जल संसाधनों के मामले में संविधान में जो मूलभूत प्रविष्टियां हैं उनमें निहित अर्थों की जांच रोचक होगी । संघ सूची में “जल” के लिए प्रविष्टि नहीं है । संघ सूची में प्रविष्टि 56 पर “जल” शब्द नहीं है । संघ सूची में प्रयुक्त शब्द “नदी” और “नदी दून” है । “जल” और “नदी” के बीच स्पष्ट अंतर है और “नदी” और “नदी दून” के बीच भी अंतर है । “दून” शब्द का अर्थ केवल “जल” नहीं है बल्कि उसको घेरने वाली भूमि भी है । दून के विकास का दायित्व संघ सरकार का उस सीमा तक है जितना लोक हित में संसद ने घोषित किया हो । संघ सूची में भूमि और कृषि के लिए कोई संगत प्रविष्टि नहीं है, इसका कारण संभवतया यह है कि यह सब “नदी दून” पदों में समाविष्ट है, जो कि संघ सरकार का दायित्व है । अतः अलग से मात्र जल पर ही ध्यान केंद्रित नहीं है, बल्कि दून की विकास आवश्यकताओं के प्रसंग में जल है ।

केंद्रीय जल आयोग के प्रकार्य जो कि इसकी स्थापना के मूल आदेश में (हमारे संविधान के अंगीकरण से लगभग पांच वर्ष पहले) निहित हैं, उसमें समग्र जल संसाधन शामिल हैं । केंद्रीय जल आयोग के प्रकार्यों में अनुसंधान, जलोद्धन, मृदा संरक्षण, नौवहन और ऐसे सब संबंधित मामले शामिल हैं । वास्तव में, आयोग के एक अंशकालिक सदस्य को “मृदा संरक्षण” का प्रभारी होना था । दुर्भाग्यवश केंद्रीय जल आयोग के मूल चार्टर में निहित समग्र अधिगम का स्थान विभक्त और पृथक्कित निगमों ने ले लिया है जिसका परिणाम जल संसाधन क्षेत्र में विकारों के रूप में सामने आया है ।

यद्यपि एक अंतर-राज्यिक नदी के जल, समूहकृत सब राज्यों के क्षेत्रों में से गुजरते हैं, तो भी ऐसे जल एक राज्य में स्थित नहीं होते (वे प्रवाहित होते रहते हैं) और एक अंतर-राज्यिक नदी के जल से संबंधित सुनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय और संघीय कानून के सिद्धान्तों के अनुसार ऐसे जलों पर कोई एक राज्य दावा नहीं कर सकता जिससे अन्य राज्य उसके साम्यिक हिस्से से वंचित हो जाए । दूसरे जहां तक एक राज्य के भीतर पूर्णतः अवस्थित जल का संबंध है, इसके लाभकारी उपयोग के लिए विधायी शक्ति पूरी तरह राज्य के विधान मंडल में निहित है । एक अंतर-राज्यिक नदी के जलों के संबंध में, कोई राज्य ऐसे जल के लाभकारी उपयोग के लिए प्रभावी रूप से विधान नहीं बना सकता, प्रथमतः क्योंकि इसकी विधायी शक्ति राज्य की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ती; दूसरे, क्योंकि प्रत्येक राज्य को उपलब्ध जल की मात्र अन्य राज्यों के साम्यिक अंश पर निर्भर है; और तीसरे एक अंतर-राज्यिक नदी के जलों की बाबत विवाद एक

राज्य के वास्तविक या प्रस्तावित विधान से उत्पन्न हो सकता है।

जल संसाधन क्षेत्र की वर्तमान अवस्था से उत्पन्न अक्षमताएं

फिलहाल राज्य जल संसाधन विकास योजनाओं का आयोजन और कार्यान्वयन ऐसे करते हैं जो कि एक राज्य के लिए लाभकारी होता है। परिणामस्वरूप, कुछ संचरी बांध उनके ऐसे इष्टतम आयाम तक नहीं बनते जो अन्य राज्यों को भी लाभान्वित कर सकें। वास्तव में कई बड़े जल विवाद हुए हैं, उनमें से प्रसिद्ध हैं —— कृष्णा, गोदावरी, व्यास और नर्मदा। कावेरी विवाद अभी तक भी सुलझा नहीं यद्यपि गत 25 वर्षों से निरंतर प्रयत्न हुए हैं। इस दुविधा का निश्चय उदाहरण यमुना के तट पर स्थित दिल्ली नगर को दिया जाने वाला जल है, जहां दूरस्थ भाखड़ा बांध (पंजाब) और रामगंगा बांध (उत्तर प्रदेश) से कच्चा पानी भेजा जाता है। एक संघीय या अर्ध-संघीय संविधान के अंतर्गत अंतर-राज्यिक नदी जल विवाद से उत्पन्न जटिल मामलों की जानकारी न रखने वालों की ओर से यह कहा जाना सरल और रोचक होता है कि ऐसा विवाद सद्भावना पूर्वक राष्ट्र-हित में बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। (जिसे आगे से राजनीतिक समझौता कहा गया है)। यह भी प्रस्ताव है कि सभी नदियां संघ सरकार के अधीन रखी जाएं। जैसे—जैसे पानी की आवश्यकता बढ़ेगी, ये समस्याएं और विवाद भावी वर्षों में अधिक बढ़ सकते हैं।

सांविधानिक प्रावधनों की पर्याप्तता और संशोधनों की आवश्यकता

समाचार-पत्रों, विशेषज्ञों और सांसदों द्वारा प्रायः इसकी वकालत की गई है कि अंतर-राज्यिक नदियों के विकास में संघ सरकार को स्पष्ट और परिशुद्ध दायित्व सौंपने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। सन् 1972 ई0 में इसके लिए एक प्रयास हुआ था जिसका कई राज्यों ने जमकर विरोध किया। पैरा 2, 3 और 4 में बताई गई स्थिति से यह भली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में संशोधन आवश्यक नहीं है क्योंकि विद्यमान उपबंधों में केंद्रीय सरकार प्रविष्टि 56 के अधीन आवश्यक अधिनियम बनाकर पर्याप्त शक्ति ले सकने का प्रावधान है। भारत में उपलब्ध जल का 85%, भाग अंतर-राज्यिक नदियों में बहता है और विभिन्न जल बोर्ड/आयोग बनाकर आधारभूत उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है ताकि एक से अधिक राज्यों वाले नदी बेसिनों में जांच, महा-योजनाओं का निर्माण, बहु-उद्देशीय परियोजनाओं का आयोजन निर्माण और प्रचालन के कार्य हो सकें।

व्यापक महा-योजना बनाने और परियोजनाओं की अंतर-राज्यिक प्राथमिकता तय करने के लिए नदी बेसिन आयोगों की स्थापना की जोरदार संस्तुति सिंचाई आयोग (1972) द्वारा भी की गई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) द्वारा भी अंतर-राज्यिक नदियों के प्लान बनाने के लिए इस तरह के अंतर-बेसिन आयोग, सांविधानिक प्राधिकरणों के रूप में बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। आयोग ने संस्तुति की थी “संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को केंद्रीय सरकार को ले लेना चाहिए और अंतर-राज्यिक नदियों के विनियमन और विकास के लिए उपयुक्त कानून बनाने चाहिए।”

इस बात पर बल देना अपेक्षित नहीं है कि इस तरह के अंतर-राज्य स्तर के नदी बेसिन प्राधिकरण/आयोग सही-सही बहु-आयोगी होने चाहिए। उल्टे इन संस्तुतियों के विपरीत सोन नदी आयोग समाप्त कर दिया गया है जिसे बने रहने देना चाहिए था ताकि विस्तृत परियोजना रपटें (प्रतिवेदन) तैयार करने और परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने के काम के साथ महा-योजना को अद्यतन बनाया जा सकता।

लोक लेखा समिति ने अपनी 141वीं रपट में भी बहुमूल्य जल संसाधनों के क्रमबद्ध और चरणबद्ध विकास के हित में महा-योजनाओं को शीघ्रता से तैयार करने के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। जल संसाधन मंत्रलय की संसदीय परामर्शदात् समिति ने भी नर्मदा, ब्रह्मपुत्र गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा के बेसिनों के लिए अंतर-राज्यिक नदी बेसिन आयोगन बनाने की संस्तुति की है।

निष्कर्ष

यह ध्यान देने योग्य है कि अंतर-राज्यिक बेसिन आयोग बनाने के लिए कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है यद्यपि विभिन्न संसदीय समितियों, सिंचाई आयोग, राष्ट्रीय बाड़ आयोग और राष्ट्रीय जल नीति द्वारा स्पष्ट संस्तुतियां की गईं। आवश्यकता संविधान संशोधन की नहीं है परन्तु संविधान में प्रदत्त केन्द्र व राज्य सरकारों के जल संसाधन क्षेत्र में कार्य, दायित्व व अधिकारों को ठीक इच्छा शक्ति से जनहित में निभाना अव्यंत आवश्यक है। इन दशकों में व भावी शताब्दियों में भयंकरतम युद्ध व विवाद जल बटवारों व जल की कमी के कारण होंगे, यह पूर्णतया निश्चित है। अतः समय रहते चेतना मूलभूत जरूरी हो जाता है। भारत में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान व इतनी परियोजनाओं के बनाने का अनुभव के बाद “प्राइवेटाईजेशन” व “टरन की प्रोजेक्ट्स” के विकारों से बचकर सरकारों द्वारा अपने जल का उपयोग व नियोजन राष्ट्रीय हित में करना अपरिहार्य है।